

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर - 5

क्रमांक : ए.1(8)384 / 39 / 2009
मार्च 7, 2014

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.12.2013 द्वारा अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों को पेन, पेन्सिल, ग्लास इत्यादि के क्रय हेतु 1.1.2014 से स्टेशनरी भत्ता स्वीकृत किया गया था, के क्रम में सभी संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा स्टेशनरी भत्ते की राशि के विरुद्ध विभागीय उपयोग हेतु काम में लायी गयी स्टेशनरी का प्रमाणन (उपयोगिता प्रमाण पत्र) संलग्न प्रारूप में प्रति माह की 21 तारीख तक आवश्यक रूप से संबंधित प्रकोष्ठ/इकाई में प्रस्तुत करेंगे ।


7/3
(श्यामलाल गुर्जर)
सलाहकार (ए.एण्डएम.)

- प्रतिलिपि :-
1. समस्त नियंत्रक अधिकारी
 2. समस्त इकाई प्रभारी
 3. वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक (बिल्स)
 - ✓ 4. उप महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर)
 5. कार्यालय आदेश पत्रावली

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा माह2014 में राशि 250/- रुपये की स्टेशनरी विभागीय उपयोग हेतु कय की गयी है।

नाम.....

पद.....

प्रकोष्ठ का नाम.....

कर्मचारी कोड संख्या.....